

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 30.06.2009

संख्या 2/टी-26/2009 834(2) /स्वा0 बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है ।

क्रम संख्या	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन का जिला	नवपदस्थापित जिला
1	डा0 शंकर कुमार	सीतामढी	मुजफरपुर
2	डा0 अरुण कुमार गुप्ता	औरंगाबाद	मुजफरपुर
3	डा0 आर0 सिन्हा	सीतामढी	मुजफरपुर
4	डा0 महानन्द सिंह	वैशाली	मुजफरपुर
5	डा0 उपेन्द्र प्रसाद सिंह	दरभंगा	मुजफरपुर
6	डा0 राधेश्याम प्रसाद सिंह	सीतामढी	मुजफरपुर
7	डा0 अनिरुद्ध कुमार	पू0 चम्पारण	मुजफरपुर
8	डा0 चन्द्रशेखर प्रसाद	प0 चम्पारण	मुजफरपुर
9	डा0 अरुण कुमार	सीतामढी	मुजफरपुर
10	डा0 दीपनारायण महतो दीपक	बेगूसराय	मुजफरपुर
11	डा0 ब्रहमेन्द्र नाथ	पटना	मुजफरपुर
12	डा0 त्रिभुवन कुमार	पटना	मुजफरपुर
13	डा0 शौकत अली	पटना	मुजफरपुर
14	डा0 मंजु सिन्हा (सहाय)	समस्तीपुर	मुजफरपुर
15	डा0 सतीश कुमार	सीवान	मुजफरपुर
16	डा0 रामशंकर	समस्तीपुर	मुजफरपुर
17	डा0 किरण नारायण	सीतामढी	मुजफरपुर
18	डा0 मदन किशोर कुमार	सीतामढी	मुजफरपुर
19	डा0 सर्वनारायण कान्त	भागलपुर	मुजफरपुर
20	डा0 मो0 हासिब असगर	सीतामढी	मुजफरपुर
21	डा0 स्नेहलता सिन्हा	दरभंगा	मुजफरपुर
22	डा0 रामजी ठाकुर	दरभंगा	मुजफरपुर
23	डा0 सुजीत कुमार सिन्हा	पटना	मुजफरपुर
24	डा0 विवेकानन्द शर्मा	बाका	मुजफरपुर
25	डा0 प्रेम शंकर झा	मधुबनी	मुजफरपुर
26	डा0 सुरेन्द्र प्रसाद	सीतामढी	मुजफरपुर
27	डा0 शंकर कुमार	सीतामढी	मुजफरपुर
28	डा0 प्रदोश कुमार वर्मा	समस्तीपुर	मुजफरपुर
29	डा0 माधवेश्वर झा	दरभंगा	मुजफरपुर
30	डा0 गणेश सिंह	वैशाली	मुजफरपुर
31	डा0 बालेश्वर प्रसाद चौरसिया	कटिहार	मुजफरपुर
32	डा0 राममूर्ति झा	गया	मुजफरपुर
33	डा0 सचिदानन्द चौधरी	प0 चम्पारण	मुजफरपुर
34	डा0 लक्ष्मी सेन		मुजफरपुर

2. सम्बन्धित सिविल सर्जन/नियंत्रि पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित होकर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से कर देंगे ।

3. अधिसूचित चिकित्सा पदाधिकारी जुलाई माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।  
5. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
(डा० प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 2/टी-26/2009 834(2) /स्वा०,दिनांक 30.06.2009  
प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित  
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, /अवर सचिव वित्त (बै०दा०नि० को०) विभाग,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी /सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
प्रतिलिपि : सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त /सम्बन्धित जिला पदाधिकारी /सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक,स्वास्थ्य सेवाएँ /सम्बन्धित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी /उप महानिरीक्षक अभियोजन बिहार,पटना /संबन्धित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।  
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री /माननीय राज्य मंत्री के आप्त सचिव /प्रधान सचिव के सचिव स्वास्थ्य /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ /उप सचिव स्वास्थ्य /प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,9, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव